मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

कमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1233 भोपाल दिनांक 20 सितम्बर 2019

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त जिला समस्त (म0प्र0)

विषयः–दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में ई–अनुज्ञा की व्यवस्था लागू करने संबंधी।

–0–

उपरोक्त विषयातंर्गत प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में दिनांक 16 अगस्त 2019 से लागू की गई ई–अनुज्ञा के संबंध में व्यापारियों को लिखा गया पत्र संलग्न कर लेख है कि उक्त पत्र की प्रतियॉ मण्डी में व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को ई–अनुज्ञा पोर्टल के लाभों की संक्षिप्त जानकारी देते हुये एक प्रति उपलब्ध कराई जाकर उनसे पावती प्राप्त करें।

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1234 भोपाल दिनांक 20 सितम्बर 2019

प्रति,

श्री.....,
मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी,
फर्म .....
कृषि उपज मण्डी समिति,
..... जिला .....(म0प्र0)

विषयः–दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में ई–अनुज्ञा की व्यवस्था लागू करने संबंधी।

–0–

आप अवगत ही हैं कि दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की समस्त 257 कृषि उपज मण्डी समितियों में एक साथ ई–अनुज्ञा पोर्टल का क्रियान्वयन लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा जारी किये जा रहे हैं।

प्रदेश की मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान से स्वयं अपने भुगतान पत्रक की एण्ट्री कर सकेंगे एवं स्वयं के द्वारा अपने ई–अनुज्ञा जारी किये जा सकेंगे, यदि कृषक विक्रेता को उसकी उपज के मूल्य का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? एवं मण्डी फीस का पूर्ण भुगतान संबंधित खाते में कर दिया गया है?

इस व्यवस्था से मण्डी के अनुज्ञप्तीधारी व्यापारी भाईयों को निम्नानुसार लाभ होंगे :–

1/ इस व्यवस्था में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा स्वयं का पंजीयन ई–अनुज्ञा पोर्टल के लिंक https://eanugya.mp.gov.in पर करने/कराने पर एस.एम.एस. के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. सत्यापन उपरांत उन्हें लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदाय किये जायेंगे, जिसकी मदद से वे ई–अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य कर सकेंगे।

2/ प्रदेश की मण्डी समितियों के ऐसे व्यापारी जिन्हें ई–अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य की कठिनाई है अथवा आवश्यक अधोसंरचना के अभाव में असमर्थ हैं। उनकी ई–अनुज्ञा पूर्ववत मण्डी कर्मचारी द्वारा बनाकर दी जावेगी। साथ ही कार्य सुगमता की दृष्टि से ई–अनुज्ञा पोर्टल पर "व्यापारी यूजर मेनुअल" उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति वे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

3/ यदि किसी कारणवश मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी का पासवर्ड कार्य नहीं करता है अथवा भूल जाते हैं अथवा मिसिंग (गुम) हो जाता है तो उस दशा में वह अपनी मण्डी के सचिव से सम्पर्क कर उनकी लॉगिन आई.डी. से पुनः पासवर्ड प्राप्त करने की सुविधा होगी

4/ ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र प्रणाली लागू होने से कृषि उपज का व्यापार और अधिक सहज एवं सरल हो जायेगा।

Sandeep

5/ व्यापारियों को पारदर्शी कार्य प्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी।

6/ ई–अनुज्ञा प्रणाली में व्यापारी प्ररुप–10 में घोषणा पत्र भरकर स्वयं प्ररुप–9 में ई–अनुज्ञा पत्र जारी करने की सुविधा प्राप्त होगी अर्थात यदि व्यापारी चाहे तो स्वयं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेगा अर्थात व्यापारी को अब अनुज्ञा के लिये इंतेजार नहीं करना पड़ेगा।

7/ मेनुअल अनुज्ञा प्रणाली में एक से अधिक क्रेता व्यापारी के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार नहीं हो सकने के कारण जहॉ परिवहन व्यय के साथ साथ अन्य कठिनाईयों का सामना व्यापारी को करना पड़ता था। वहीं ई–अनुज्ञा प्रणाली में विक्रेता व्यापारी द्वारा एक से अधिक क्रेताओं के मध्यम वाणिज्यिक संव्यवहार किया जा सकेगा जिससे परिवहन व्यय में कमी आयेगी, समय की बचत होगी जिससे व्यापार में सुगमता होगी।

8/ ई–अनुज्ञा प्रणाली से व्यापारी वर्ग को वर्ष के अंत लेखा सत्यापन कराने के लिये मण्डी में बार–बार आना नहीं पड़ेगा क्योंकि हर दिन की क्रय–विक्रय की जानकारी ई–अनुज्ञा प्रणाली में पहले से दर्ज होने के कारण अनुज्ञप्ति क्रमांक/मान नंबर डालते ही स्क्रीन पर उपलब्ध होगी एवं प्रिंट आउट की सुविधा होगी अर्थात लेखा सत्यापन कार्य में आसानी होगी एवं समय की बचत होगी।

9/ अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी पुरानी खरीदी पंजी के स्थान पर मण्डी में बिक्री प्रमाणक/बिलों के आधार खरीदी/विक्रय की जानकारी स्वयं के आई0डी0 पासवर्ड की मदद से सीधे सिस्टम में दर्ज कर सकेंगे। मण्डी कर्मचारी द्वारा इसका सत्यापन करते ही स्कंध (स्टॉक) स्वयं व्यापारी के खाते में स्वतः अपडेट हो जायेगी जिससे समय की बचत होगी।

10/ अधिकृत मण्डी कर्मचारियों के माध्यम से व्यापारिक कठिनाईयों का त्वरित निवारण की सुविधा प्राप्त होगी।

11/ अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को क्रय–विक्रय संबंधी कागजी रख–रखाव से मुक्ति मिलेगी एवं अन्य पर निर्भरता कम होगी।

12/ अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को अपनी दैनिक क्रय विक्रय की जानकारी के लिये अब पंजी यथा रजिस्टर संधारित करने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

13/ एक क्लिक से व्यापारी अपनी क्रय–विक्रय की जानकारी कहीं पर भी और किसी भी समय देख सकेंगे एवं कृषि उपज का शेष स्कंध (स्टॉक) त्वरित रुप से ज्ञात कर सकेंगे।

14/ व्यापारीवार ई–अनुज्ञा पंजी स्वतः ही संधारित हो जावेगी जिससे पृथक से अनुज्ञा पंजी संधारण की आवश्यकता नहीं होगी जिससे समय की बचत होगी।

15/ ई–अनुज्ञा प्रणाली में कृषि उपज के अनुज्ञा पत्र प्राप्त वाहन में खराबी आने की स्थिति में व्यापारी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था इस बात को दृष्टिगत रखते हुये ई–अनुज्ञा पत्र प्रणाली में आवश्यक संशोधन करते हुये वाहन क्रमांक परिवर्तन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

16/ वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत सौदा केन्सिल होने की स्थिति में ऐसे जारी हुये अनुज्ञा पत्र को पूर्णतः केन्सिल करने का प्रावधान किया गया है। यदि व्यापारी द्वारा उसी मण्डी क्षेत्र में अपनी कृषि उपज को अन्य किसी व्यापारी को पुनः विक्रय किया जाता है तो

Landeep

ई–अनुज्ञा में गंतव्य क्रेता व्यापारी के नाम/फर्म में परिवर्तन किये जाने का समावेश भी किया गया है, जिससे व्यापारिक कठिनाई का समाधान हो सकेगा।

17/ व्यापारियों को दैनिक क्रय विक्रय, लेखा संबंधी जानकारी एवं रिपोर्ट जनरेट करने की एवं ई–अनुज्ञा पत्रों के मिलान की त्वरित सुविधा प्राप्त होगी जिससे अन्य स्त्रोंतो पर निर्भरता में कमी आयेगी।

18/ प्रसंस्करण करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के लिये पृथक से स्क्रीन तैयार की गई है जिससे अब प्रसंस्करण के लिये अनुज्ञा पत्र बनाने की जरुरत नहीं रहेगी।

19/ गैर अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के लिये स्क्रीन तैयार कर अनुज्ञा पत्र जारी करने की व्यवस्था की गई है।

20/ दिनांक 01 अगस्त 2019 से 15 अगस्त 2019 की पाक्षिकी में शामिल होने से छूट गये अनुज्ञा पत्र स्टॉक को जोड़ सकने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

21/ व्यापारी जब भुगतान पत्र में किसान के बैंक की जानकारी की प्रविष्टि करते समय उसे यदि आईएफएससी कोड का बैंक नहीं मिलता है तो व्यापारी को स्वयं अपने लॉगिन से बैंक को जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

22/ अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को भुगतान पत्रक की एण्ट्री करने के तुरन्त बाद ही भुगतान पत्रक प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

23/ व्यापारियों द्वारा बैंक को भेजी जाने वाली (किसान के भुगतान की जानकारी) एक्सेल शीट में डाउनलोड का ऑप्शन व्यापारी लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है।

ई अनुज्ञा प्रणाली अन्तर्गत सुरक्षा के उपायः–

- ई अनुज्ञा प्रणाली अन्तर्गत सुरक्षा की दृष्टि से सभी यूजर यथा उपयोगकर्ता अपने कम्प्यूटर सिस्टम का ब्राउजर अपडेट रखें।
- ई अनुज्ञा प्रणाली परिचालन हेतु आपको प्रदाय किये यूजर आई डी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखते हुये उसे किसी अन्य के साथ न बांटे।
- आपके द्वारा उपयोग किये जा रहे कम्प्यूटर सिस्टम पर ई अनुज्ञा प्रणाली संबंधी कार्य करने के उपरांत कम्प्यूटर सिस्टम छोड़ने से पूर्व लॉग आउट अवश्य करें।

मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ई–अनुज्ञा प्रणाली पर कार्य का प्रशिक्षण पूर्व में मण्डी में ही दिया गया है। मण्डी समितियों में डाटा एण्ट्री आप्रेटर भी व्यापारियों की सहायता के लिये नियुक्त करे गये हैं। कोई भी ऐसी व्यवस्था लागू करने में प्रारम्भिक तौर पर कुछ न कुछ कठिनाईयॉ आती हैं और समय समय पर जो भी कठिनाईयॉ/परेशानियॉ परिलक्षित होंगी उनके निराकरण के लिये प्रत्येक मण्डी में एक "हेल्पडेस्क" स्थापित किया गया है एवं अंचल कार्यालय स्तर पर एक कंट्रोल रुम पूर्व से स्थापित है के प्रभारी का दूरभाष/मोबाईल नंबर अपनी मण्डी के सचिव से प्राप्त कर लेवें। बोर्ड स्तर पर भी एक मुख्य कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 0755–2550495 है, जो की समय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक संचालित रहेगा। इस पर आप अपनी कठिनाई/समस्याओं को नोट करा सकते हैं, जिसका त्वरित निराकरण करने के प्रयास किये जायेंगे। इस ई–अनुज्ञा पोर्टल को और बेहतर बनाने के लिये आपका सहयोग आवश्यक होगा।

Sandeep

मैं आशा करता हूँ कि आप इस ई–अनुज्ञा पोर्टल के उपयोग करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इसे सफल बनायेंगे और पूरे देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य बन गया है जहाँ इस प्रकार की प्रणाली लागू की गई है।

"शुभकामनाओं के साथ।"

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल